न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 03/ 2020
GCMS रजिस्ट्रेशन संख्या : 2020/44

प्रार्थी/अपीलार्थी :– बनाम अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–

1. तहसीलदार गढी
2. तहसीलदार अरथुना

1. श्री मोहन पिता स्व.गोकलजी पटेल निवासी लोकिया (अरथुना) तहसील गढी
2. मृतक जगदीश पिता गोकलजी पटेल निवासी लोकिया के वारिसान्
   2/1 मंजुला पत्नि जगदीश निवासी लोकिया
   2/2 कुलदीप पिता जगदीश निवासी लोकिया
3. पवन पिता स्व.गोकलजी पटेल निवासी लोकिया (अरथुना) तहसील गढी
4. विनोद पिता नानुलाल देवडिया निवासी अरथुना
5. दिलीप कुमार पिता नानुलाल देवडिया निवासी अरथुना

उपस्थित

श्री भूपेन्द्र जैन, राजकीय अधिवक्ता — श्री राजकुमार जैन, अधिवक्ता

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

दिनांक :– 09–01–2023

माननीय न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त उदयपुर में प्रस्तुत की गई अपील का विवरण इस प्रकार है कि जिला कलक्टर बॉसवाडा के आदेश क्रमांक एफ 2 ( ) राज./ 2018/ 860 दिनांक 03.08.2018 से ग्राम लोकिया के सर्वे नंबर 671 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि पर राजकीय सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु भूमि आवंटन किया है वह स्व.गोकल पिता रंगजी पटेल के नाम खातेदारी दर्ज थी। गोकलजी की मृत्यु के पश्चात् जरिये नामान्तरकरण संख्या 61 दिनांक 15.01. 2002 के द्वारा मोहन, जगदीश, पवन पिता स्व. गोकलजी एवं श्रीमती केसर बेवा स्व. गोकलजी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:09:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with Oken Scanner

नाम दर्ज की गई। श्रीमती केसर की मृत्यु हो जाने से उसका नाम हटाया गया। सर्वे नंबर 671 रकबा 0.04 हैक्टेयर आवासीय में परिवर्तित होकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 104 दिनांक 15.01.2002 के द्वारा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में आवासीय गैरमुमकीन आवादी दर्ज की गई है। राजकीय सामुदायिक भवन अरथुना में भूमि के प्रस्ताव पर पटवारी ने बिना राजस्व रेकार्ड देखे अपीलांट की आवासीय भूमि को राजकीय भूमि बताकर अपनी रिर्पोट प्रस्तुत की। पटवारी की गलत रिर्पोट पर तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी गढी ने मोहन, जगदीश, पवन पिता स्व. गोकलजी के स्वामित्व की भूमि आरक्षित किये जाने की अनुशंषा किये जाने पर जिला कलक्टर बॉसवाडा द्वारा किये गये भूमि आरक्षण के आदेश से अप्रसन्न होकर मोहन, जगदीश, पवन पिता स्व. गोकलजी ने अपील माननीय न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त उदयपुर में प्रस्तुत की।

माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर ने अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर बॉसवाडा) के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.08.2018 जिससे ग्राम लोकिया क आराजी नंबर 671 रकबा 0.04 हैक्टेयर को राजकीय सामुदायिक भवन हेतु आरक्षित किये है को अपास्त कर प्रकरण इस न्यायालय में प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया कि प्रकरण में सक्षम अधिकारी से पुनः मौके व रेकार्ड की जॉच करवाकर उभयपक्षो को सुनकर पुनः निर्णय पारित करे, यदि अपीलाधीन भूमि पर निर्माण किया गया है एवं अपीलांट का सर्मपण नामा नही है तो उसे युक्तियुक्त रुप से क्षतिपूर्ति नियमानुसार 3 माह में करवाये।

अपील दर्ज रजिस्टर कर अभयपक्षकारो को जरिये सम्मन सूचित किया गया। दिनांक 13.10.2020 को उपखण्ड अधिकारी गढी को प्रकरण में [illegible] की जॉच रिर्पोट पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई। दिनांक 16.02.20[illegible] को उपखण्ड अधिकारी गढी ने मौके व रेकार्ड की जॉच रिर्पोट

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:09:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर

Scanned with Oken Scanner

प्राप्त हुई। रिपोंट अनुसार उक्त सर्वे नंबर 671 रकबा 0.04 हैक्टेयर खातेदारान् की भूमि का नामान्तरकरण गे.मु आबादी दर्ज होने से तात्कालिन राजस्व अधिकारियो द्वारा श्रीसरकार आबादी भूमि मानकर राजकीय सामुदायिक भवन के लिये आरक्षण की अनुशंसा पर उक्त प्रयोजनार्थ आरक्षित होकर वर्तमान में सर्वे नंबर 671 रकबा 0.04 हैक्टेयर में से 36X56 वर्ग फिट अर्थात् 0.02 है. भूमि पर दो मंजीला सामुदायिक भवन निर्मित किया हुआ होकर शेष रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि मौके पर पडत है।

दिनांक 30.07.2021 को मोहन, पवन पिता स्व. गोकलजी की ओर से श्री राजकुमार जैन एवं श्री अनुराग जैन अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। जगदीश पिता स्व. गोकलजी की मृत्यु हो जाने से दिनांक 30.07.2021 को सूचना पत्र ,एवं दिनांक 13.08.21 को विनोद, दिलीप कुमार पिता नानुलाल देवडिया निवासी अरथुना को पक्षकार बनाने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सी. पी.सी. मृतक जगदीश के वारिसान् को रिकार्ड पर लेकर प्रकरण में पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र मय अभिभाषक पत्र के साथ प्रस्तुत किया। दिनांक 27.10.2021 को तहसीलदार अरथुना ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 (2) सी.पी.सी एवं प्रार्थना कायम वारिस के सन्दर्भ में-अनापत्ति प्रस्तुत की। अतः पक्षकार बनाने की स्वीकृति दी गई। 09.12.2021 को तहसीलदार अरथुना की ओर से संशोधित उनवान प्रस्तुत हुआ।

दिनांक 16.12.2022 को रेस्पोडेंट श्री मोहन पिता स्व. गोकलजी, मंजुला पत्नि जगदीश, कुलदीप पिता जगदीश, पवन पिता गोकलजी, विनोद पिता नानुलाल देवडिया, दिलीप कुमार पिता नानुलाल देवडिया के अधिवक्ता ने सहमति पत्र पेश [illegible] किया कि वर्तमान में मौके की स्थिति अनुसार सामुदायिक भवन खातेदारो की जितनी [illegible] में बना है, उसके सम्बन्ध में कोई

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:09:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

आपत्ति नही है न इस सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति प्राप्त करना चाहते है, खातेदारी की भूमि में बने सामूदायिक भवन की भूमि के सम्बन्ध में भविष्य में आपत्ति नही करेंगे।

अतः रेस्पोडेंट्स की तरफ से उनके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र के अनुसार वर्तमान में मौके की स्थिति अनुसार सामुदायिक भवन खातेदारो की जितनी भूमि में बना है, उसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति नही है न इस सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति प्राप्त करना चाहते है, खातेदारी की भूमि में बने सामूदायिक भवन की भूमि के सम्बन्ध में भविष्य में आपत्ति नही करना जाहिर किया है। उक्त सहमति पत्र के आधार पर ग्राम लोकिया पटवार हल्का अरथुना तहसील अरथुना के आराजी नंबर 671 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि में से उपखण्ड अधिकारी गढी की रिर्पोट अनुसार वर्तमान में मौका स्थिति अनुसार 36X56 वर्ग फिट अर्थात् 0.02 है. भूमि पर दो मंजीला सामुदायिक भवन बना हुआ है को छोडकर शेष भूमि पूर्वानुसार मूल खातेदारो के नाम दर्ज रेकार्ड करने आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 09–01–2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा (राज.)

(... चन्द शर्मा)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:09:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner